संख्या-03/2022/1392(1)/23-14-2022-03आ0पू0वि0नि0/2020

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,

महराजगंज, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, मीरजापुर,

बलिया, भदोही, वाराणसी एवं बाराबंकी।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 05 जनवरी, 2022**

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 में जनपद-महराजगंज, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, मीरजापुर, बलिया, भदोही, वाराणसी एवं बाराबंकी की 28 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी, महराजगंज, संख्या-451/लो0नि0वि0/पू0वि0नि0-राज्यांश/2021-22, दिनांक 07.10.2021, संख्या-1099/सी-16/लो0नि0वि0/पू0वि0नि0राज्यांश/2021,दिनांक 25.10.2021, मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा के पत्र संख्या-3039/1-सी, दिनांक 26.07.2021, पत्र संख्या-2320/5-ए, दिनांक 28.09.2021, पत्र संख्या-2900/पू0वि0नि0(राज्यांश)मांग/20-21, दिनांक 04.09.2021, पत्र संख्या-2901/पू0वि0नि0(राज्यांश)मांग/20-21, दिनांक 04.09.2021, पत्र संख्या-1611/1-सी, दिनांक 27.07.2021, पत्र संख्या-1609/1-सी, दिनांक 26.07.2021 मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या-1419/पू0वि0नि0/21, दिनांक 12.10.2021, पत्र संख्या-1152/पू0वि0नि0/21, दिनांक 29.09.2021, मुख्य विकास अधिकारी, मीरजापुर, के पत्र संख्या-1430/पू0वि0नि0, दिनांक 28.08.2021, पत्र संख्या-2437/पू0वि0नि0(रा0), दिनांक 23.10.2021, मुख्य विकास अधिकारी, बलिया के पत्र संख्या-2595/पू0वि0नि0, दिनांक 22.11.2021, मुख्य विकास अधिकारी, भदोही के पत्र संख्या-2318/पू0वि0नि0, दिनांक 18.08.2021, मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी के पत्र संख्या-3829/पू0वि0नि0, दिनांक 06.09.2021 एवं मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी के पत्र संख्या-3829/पू0वि0नि0, दिनांक 06.09.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित जनपदों की कतिपय परियोजनाओं का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-2 में अंकित जनपद कतिपय जनपदों की 28 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अगली किस्त के रूप में धनराशि रू0 15,35,64,000.00 (रूपये पन्द्रह करोड़ पैंतीस लाख चौसठ हजार मात्र) अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

धनराशि (रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मूल शासनादेश संख्या एवं दिनांक	लम्बाई (कि0मी0 में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	अब तक अवमुक्त कुल धनराशि	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन	कार्यदायी संस्था
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिसवा मुंशी से जमुनिया सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य। **जनपद-महराजगंज**	123/2019/229/23-14-2019-05आ0पू0वि0नि0/2018, दिनांक 10.03.2019	2.900	153.96	125.16	23.80	प्रा0ख0, लो0नि0वि0
2	गुलराजपुर चैराहे से मुरादपुर होते हुए फुलमनहा बाजार तक मार्ग का नव निर्माण कार्य। **जनपद-महराजगंज**	7/2019/942/23-14-2018-03आ0पू0वि0नि0/2018, दिनांक 01.01.2019	1.60	73.09	29.23	38.86	नि0ख0, लो0नि0वि0
3	कानापार कमनहां मार्ग से बेलनहवां चैराहा होते हुए काशीजोत तक मार्ग का नव निर्माण कार्य। **जनपद-महराजगंज**	तदैव	2.00	118.24	47.29	50.00	तदैव
4	कटरा शाहबाज गांव से केदारपुरवा, तेलियनपुरवा होते हुए गोकुल गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-गोण्डा**	47/2019/107/23-14-2019-76आ0पू0वि0नि0/2018, दिनांक 07.02.2019	3.60	229.79	183.82	40.97	नि0ख0-2 लो0नि0वि0,
5	साहिबापुर चैराहे से करौदा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-गोण्डा**	5/2019/1335/23-14-2018-52आ0पू0वि0नि0/2018, दिनांक 01.01.2019	4.00	211.47	169.168	37.20	नि0ख0-1 लो0नि0वि0,
6	इटियाथोक बलरामपुर मार्ग से देवरहना, ज्यौरा भरवा, लोनपुरवा, इटिहिया नवीजोत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-गोण्डा**	46/2019/106/23-14-2019-80आ0पू0वि0नि0/2018, दिनांक 07.02.2019	6.60	406.99	325.58	76.41	प्रा0ख0, लो0नि0वि0
7	नवोदय विद्यालय देवरिया के सामने से ग्राम भुतहिया मरौची नगई का गांव परसहवा होते हुये टोपा गांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-गोण्डा**	54/2019/114/23-14-2019-83आ0पू0वि0नि0/2018, दिनांक 07.02.2019	5.60	285.97	228.76	52.21	तदैव
8	ग्राम उपाध्यायपुर से केवडिया के दुकान से मलहे की दुकान होते हुए बडकापुरवा मेचुका मछलीगांव से सुकुलपुरवा होते हुए छोटकी देवरिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-गोण्डा**	तदैव	4.50	281.12	112.44	112.44	तदैव
9	परसपुर बेलसर मार्ग पक्के कुआं से सुखराम तिवारीपुरवा होते हुए जरौली पूरबपट्टी कोरियन टोला होते हुए बेलसर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-गोण्डा**	93/2018/285/23-14-2018-17आ0पू0वि0नि0/2017, दिनांक 31.03.2018	4.00	295.26	168.065	118.10	नि0ख0-2 लो0नि0वि0,
10	पसका सम्पर्क मार्ग से मुगही गांव होते हुए चरसड़ी बन्धा रैम्प तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-गोण्डा**	तदैव	4.20	292.02	108.365	116.80	तदैव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11	एन0एच0-730 से बसडिलिया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-सिद्धार्थनगर**	238/2020/771/23-14-2021-102आ0पू0वि0नि0/2021, दिनांक 04-12-2021	0.900	63.11	25.24	32.87	प्रा0ख0, लो0नि0वि0
12	एल0डी0 मार्ग के कि0मी0-46 से ककरही सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-सिद्धार्थनगर**	तदैव	1.000	79.08	31.63	42.45	तदैव
13	सेखुईया मार्ग के कि0मी0-03 से नगपरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-सिद्धार्थनगर**	तदैव	1.400	92.56	37.02	50.00	तदैव
14	मोहाना लोटन मार्ग से सुसनहा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-सिद्धार्थनगर**	तदैव	0.750	51.97	20.78	26.19	तदैव
15	भिटिया पंचमोहनी देवभरिया बहादुरपुर अन्य जिला मार्ग के कि0मी0 8 से शंकरजोत सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-सिद्धार्थनगर**	102/2021/271/23-14-2021-24आ0पू0वि0नि0/2021, दिनांक 16-03-2021	0.750	63.73	6.37	50.00	नि0ख0-1 लो0नि0वि0,
16	करौंदा खालसा मार्ग से पटियापार सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-सिद्धार्थनगर**	तदैव	1.800	149.06	14.90	59.62	तदैव
17	मिश्रौलिया से रायपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-सिद्धार्थनगर**	तदैव	1.00	87.46	8.74	50.00	तदैव
18	मझौवा धोबहा शाहपुर अन्य जिला मार्ग के कि0मी0 2 से खुनियांव होते हुए बभनी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-सिद्धार्थनगर**	तदैव	1.200	77.92	7.79	50.00	तदैव
19	मझौवा खडसरी मार्ग कि0मी0 2 से जिगनिहवा होते हुए जोलहाभारी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-सिद्धार्थनगर**	तदैव	1.500	127.64	12.76	51.05	तदैव
20	पटेहरा नेवि ढया मार्ग के ि0मी0 5 से कुहकी खण्डवर मझारी सं0 मार्ग का निर्माण। **जनपद-मीरजापुर**	121/2021/268/23-14-2020-41आ0पू0वि0नि0/2021, दिनांक 23.03.2021	3.00	143.65	14.36	57.46	नि0ख0-2 लो0नि0वि0,
21	पथरौर सं0 मार्ग कि0मी0 2 से देवरी दुबार सम्पर्क मार्ग का निर्माण। **जनपद-मीरजापुर**	तदैव	3.40	147.41	14.74	58.96	तदैव
22	पुरवा खास सम्पर्क मार्ग कि0मी0 1 से टउवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण। **जनपद-मीरजापुर**	तदैव	2.80	120.63	12.06	50.00	तदैव
23	जिगनौड़ी सिनहर कलां मार्ग से रामपुर सम्पर्क मार्ग। **जनपद-मीरजापुर**	82/2021/252/23-14-2021-25आ0पू0वि0नि0/2020, दिनांक 16.03.2021	1.10	50.21	5.02	40.19	प्रा0ख0, लो0नि0वि0
24	एन0एच0-31 स्थित कपिलेश्वरी भवानी स्थान से गंगहरा सम्पर्क मार्ग। **जनपद-बलिया**	163/2021/487/23-14-2021-08आ0पू0वि0नि0/2021, दिनांक 25.03.2021	1.900	151.49	15.140	60.59	नि0ख0, लो0नि0वि0
25	ठेगीपुर से बहादुर पटेल के सामने से पंचायत भवन होते हुये लीलापुर तक मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। **जनपद-भदोही**	69/2021/270/23-14-2020-26आ0पू0वि0नि0/2020, दिनांक 10.03.2020	1.08	50.82	5.08	40.74	प्रा0ख0, लो0नि0वि0
26	ग्राम सभा सराय डगरी से पारापुर चैराहे से सराय डगरी खुर्द रमना	128/2021/550/23-14-2021-	4.50	220.49	22.04	88.19	नि0ख0(भवन) लो0नि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	होते हुए हरिजन बस्ती होते हुए तारापुर प्राथमिक पाठशाला तक मार्ग निर्माण। **जनपद-वाराणसी**	30आ0पू0वि0नि0/21, दिनांक 24.03.2021					
27	शाहपुर से कुटी वाया सूबेदारपुरवा कोयलहा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-बाराबंकी**	25/2019/1361/23-14-2018-18आ0पू0वि0नि0/2018, दिनांक 24.01.2019	1.450	103.59	62.14	36.45	प्रा0ख0, लो0नि0वि0
28	चौहानपुरवा से सिल्हौर-मवई (अशरुपुर) सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-बाराबंकी**	तदैव	1.060	72.71	43.62	24.09	तदैव
		;kx	**69.59**	**4201.44**	**1857.308**	**1535.64**	

3- यह धनराशि केवल उक्त परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

4- परियोजनाओं का क्रियान्वयन निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबदध ढंग से पूर्ण कराये जायॅ। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरूपयोग न हो।

(2) उक्त परियोजनाओं पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए वे पूर्णतया उत्तरदायी होगें।

(3) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

(5) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें।

(6) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आप द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

(8) सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेगें।

(9) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2022 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(10) परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाणपत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(11) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजनाओं के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

(12) परियोजनाओं की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

5- उपर्युक्त परियोजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए आप उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत " पूँजीलेखा-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-पूर्वान्चल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या-03/2022/1392(1)(1)/23-14-2022-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी, सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in